International Journal of Sociology and Humanities

ISSN Print: 2664-8679
ISSN Online: 2664-8687
Impact Factor: RJIF 8
IJSH 2024; 6(1): 27-34
www.sociologyjournal.net
Received: 22-11-2023
Accepted: 26-12-2023

डॉ० चन्द्रा सत्या प्रकाश
राजनीति विज्ञान विभाग,
सामाजिक विज्ञान संकाय,
भूपेन्द्र नारायण मंडल
विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार,
भारत

Corresponding Author:
डॉ० चन्द्रा सत्या प्रकाश
राजनीति विज्ञान विभाग,
सामाजिक विज्ञान संकाय,
भूपेन्द्र नारायण मंडल
विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार,
भारत

भारत में चुनावी बांड योजना : लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर प्रभाव

डॉ० चन्द्रा सत्या प्रकाश

DOI: https://doi.org/10.33545/26648679.2024.v6.i1a.70

सारांश
भारत में चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वितीय जरिया है। चुनावी बॉन्ड एक वितीय वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कम्पनी भारतीय स्टेट बैंक के निर्धारित शाखाओं से ख़रीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दलों को गोपनीय तरीक़े से दान कर सकता है। भारत में चुनावी बॉन्ड योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में लाया था। वर्ष 2017 में चुनावी बॉन्ड के ज़रिए चुनावी चंदा को संस्थागत रूप दिया गया था। इस योजना को केंद्र सरकार ने जनवरी 2018 में क़ानूनन लागू कर दिया था। इस चुनावी बॉन्ड योजना को संसद में धन विधेयक के रूप में पारित कि या गया था यानी कि केंद्र सरकार ने इस बॉन्ड को बहुत महत्व दिया था। चुनावी बॉन्ड योजना का विरोध भारत के विपक्षी राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग, विधि आयोग, एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म इत्यादि द्वारा विरोध किया गया था। चुनावी बॉन्ड योजना का विरोध करने वालों का तर्क है कि इस योजना के द्वारा सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दल अथवा गठबंधन को सर्वाधिक लाभ हुआ है। दूसरी तरफ विपक्षी राजनीतिक दलों अथवा गठबंधन को चुनावी बॉन्ड से बहुत कम चंदा मिला है। इस योजना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म द्वारा चुनौती दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की बेंच ने इस योजना को फ़रवरी 2024 में असंवैधानिक करार दिया एवं इस योजना को काले धन को बढ़ावा और चुनावी फ़ंडिंग में अपारदर्शिता का प्रतीक माना। इस योजना ने भारत में निष्पक्ष चुनाव एवं लोकतंत्र पर हमला किया है। इस संदर्भ में इस योजना का गहन विश्लेषण आवश्यक है। यह शोध पत्र भारत में निष्पक्ष चुनाव एवं लोकतंत्र पर चुनावी बॉन्ड के प्रभाव का विश्लेषण करता है।

कूटशब्द : चुनावी बॉन्ड, धन विधेयक, काला धन, सर्वोच्च न्यायालय, असंवैधानिकता, निष्पक्ष चुनाव

प्रस्तावना
भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के रूप में संसदीय प्रणाली को अपनाया है। लोकतंत्र के संसदीय प्रणाली में निष्पक्ष चुनाव का बहुत महत्व है। भारत में लोकतंत्र की मजबूत बुनियाद वयस्क मताधिकार पर आधारित निष्पक्ष चुनाव है।

भारत में निष्पक्ष चुनाव का संचालन एवं नियंत्रण भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत में चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में अपने उम्मीदवारों को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के समक्ष उम्मीदवार बनाती है। निर्वाचन में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाती है।

निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को बहुत अधिक ख़र्च करना पड़ता है। भारत की सभी राजनीतिक दल इस ख़र्चे के लिए कार्पोरेट सेक्टर एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त चंदे पर निर्भर है। भारत में चुनावी बॉन्ड के आने से पहले निर्वाचन कार्यों में ख़र्च करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने गुमनामी स्त्रोतों से चंदा लेती थी। राजनीतिक दलों को मिलने वाली चुनावी चंदा हमेशा से ही विवादित रहा है। भारत में सत्ता में रहने वाले राजनीतिक दलों को हमेशा से ही गुमनाम स्त्रोतों से चुनावी चंदा मिलता रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में चुनावी बॉन्ड योजना के ज़रिए चुनावी चंदा को संस्थागत रूप दिया था। इस चुनावी बॉन्ड योजना को वर्ष 2018 में लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने संसद में चुनावी बॉन्ड को धन विधेयक के रूप में पारित किया था (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2019, पृष्ठ संख्या-1)। इससे पता चलता है की केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड को बहुत अत्यधिक महत्व दिया था।

इस योजना के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड को ख़रीदने की व्यवस्था किया गया था और राजनीतिक दलों को उस चुनावी बॉन्ड की राशि अपने खाता में जमा करना होता है। चुनावी बॉन्ड इसलिए लाए गए थे ताकि भारत के सियासी दलों के पैसे जुटाने के संदेहास्पद तौर-तरीक़ों में सुधार लाया जा सके। मगर हुआ इसके उलट। चुनावी बॉन्ड को 'लोकतंत्र से खिलवाड़ करने वाला' बताकर इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और इस पर फरवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ चुका है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने इस चुनावी बॉन्ड को गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (AAA) की याचिका पर निर्णय देते हुए फ़रवरी 2024 में इसे अवैध और असंवैधानिक बताया था (एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए प्रयत्नशील गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (AAA) ने सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका में चुनावी बॉन्ड को निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए ख़तरा बताया था। उनके अनुसार चुनावी बॉन्ड से सबसे अधिक फ़ायदा सत्ताधारी राजनीतिक दलों को हीं होगा और अपने फ़ायदा के लिए सत्ता में क़ाबिज़ राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग को मार्च 2024 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने चुनावी बॉन्ड से संबंधित आँकड़ों को दिया है (भारत निर्वाचन आयोग 2024, पृष्ठ संख्या-1)। इस आँकड़ों से स्पष्ट होता है की विभिन्न राज्यों में सरकार में शामिल राजनीतिक दलों को सर्वाधिक चुनावी चंदा मिला है। इसी तरह एन०डी०ए० सरकार में शामिल राजनीतिक दलों को सर्वाधिक चुनावी चंदा मिला है। इस चुनावी बॉन्ड का दूसरा पक्ष यह है की चंदा देने वाली कम्पनियों को सरकारी कार्यों के लिए टेंडर दे दिया गया है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड खरीदारों की जो लिस्ट सौंपी है, उससे कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वालों में कई ऐसी कंपनियां शामिल हैं, जिनके ख़िलाफ़ ईडी और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई हो चुकी है। दिलचस्प ये है कि ये कार्रवाइयां बॉन्ड खरीदे जाने के समय के आसपास हुई हैं। फ्यूचर गेमिंग, वेदांता लिमिटेड और मेघा इंजीनियरिंग जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदने वालों में शामिल हैं। एक ख़ास रिपोर्ट में कहा है कि सिर्फ यही कंपनियां नहीं, करीब दस कंपनियों की चुनावी बॉन्ड खरीदारी में भी यही पैटर्न दिखता है। आरपीजीएस की हल्दिया एनर्जी, डीएलएफ, फार्मा कंपनी हेटेरो ड्रग्स, वेलस्पन ग्रुप, डिवीस लेबोरेट्रीज और बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ ने काफी बॉन्ड खरीदे हैं (एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म 2024, पृष्ठ संख्या-1)। लेकिन ये सारी खरीदारी केंद्रीय एजेंसियों की जांच के साये में खरीदे गए हैं। मसलन, चुनावी बॉन्ड की चौथी सबसे बड़ी खरीदार हल्दिया एनर्जी पर सीबीआई ने 2020 में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया था।

आरपीएसजी ग्रुप की कंपनियां हल्दिया एनर्जी ने 2019 से लेकर 2024 के बीच 377 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड

खरीदे। मार्च 2020 में सीबीआई ने हल्दिया एनर्जी और अदानी, वेदांता, जिंदल स्टील, बीआईएलटी समेत 24 कंपनियों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-1)। इन कंपनियों पर महानदी कोलफील्ड लिमिटेड को 100 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। डीएलएफ शीर्ष बॉन्ड खरीदारों में शामिल है। उसने 130 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे हैं। सीबीआई ने डीएलएफ ग्रुप की कंपनी न्यू गुड़गांव होम्स ग्रुप डेवलपर्स के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया था। ये केस 1 नवंबर को 2017 में सुप्रीम के निर्देश के बाद दर्ज किया गया था। 25 जनवरी 2019 को सीबीआई ने कंपनी के गुरुग्राम के दफ़्तर और कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की ये कार्रवाई कंपनी को जमीन आवंटन में कथित अनियमितता की जांच के सिलसिले में हुई थी। इन कार्रवाइयों के बाद डीएलएफ ने 9 अक्टूबर 2019 से चुनावी बॉन्ड खरीदने शुरू किए। कंपनी ने कुल 130 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे। एक बार फिर 25 नवंबर 2023 को ईडी ने कंपनी के गुरुग्राम में मौजूद दफ़्तरों पर छापेमारी की। ईडी की ये कार्रवाई रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक और इसके प्रमोटरों के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई थी। फार्मा कंपनी हेटेरो ड्रग्स भी सबसे ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों में शामिल है।

चुनावी बॉन्ड की संरचना एवं राजनीतिक दलों को फ़ायदा

भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को क़ानूनन लागू कर दिया था। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन देने के लिए बॉन्ड जारी कर सकता है। इन्हें ऐसा कोई भी दाता ख़रीद सकता है, जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है, जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं। चुनावी बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, एक लाख रुपये, दस लाख रुपये और एक करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के चुनावी बॉन्ड ख़रीदे जा सकते हैं (भारत निर्वाचन आयोग 2019, पृष्ठ संख्या-1)। चुनावी बॉन्ड्स की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ़ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये चंदा दिया जा सकता है, जिन्होंने लोकसभा या विधान सभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट हासिल किया हो। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए ख़रीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं (आर्थिक विभाग, वित्त मंत्रालय 2024, पृष्ठ संख्या-)। इन्हें लोकसभा चुनाव के वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है।

भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि चुनावी बॉन्ड देश में राजनीतिक फ़ंडिंग की व्यवस्था को साफ़ कर देगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार-बार उठा कि चुनावी बॉन्ड के ज़रिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है, इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है। एक आलोचना यह भी है कि यह योजना बड़े कॉर्पोरेट घरानों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। इस योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका साल 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और ग़ैर-लाभकारी संगठन कॉमन कॉज़ द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका साल 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने दायर की थी (गुप्ता 2020, पृष्ठ संख्या-1)।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फ़ंडिंग के फ्लडगेट्स या "बाढ़ के द्वार" खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है। याचिकाओं में ये भी कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक के 'जानने के अधिकार' का उल्लंघन करती है, उस अधिकार का जिसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों ने संविधान के

अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू माना है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाई गई एक चिंता यह है कि एफ़सीआरए में संशोधन किया गया है ताकि भारत में सहायक कंपनियों के साथ विदेशी कंपनियों को भारतीय राजनीतिक दलों को फ़ंड देने की अनुमति दी जा सके। इस वजह से अपने एजेंडा रखने वाले अंतरराष्ट्रीय लॉबिस्टों को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में दख़ल देने का मौक़ा मिलता है। याचिकर्ताओं ने कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए उन संशोधनों पर भी आपत्तियां उठाई हैं जो कंपनियों को अपने वार्षिक लाभ और हानि खातों में राजनीतिक योगदान का विवरण देने से छूट देते हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे राजनीतिक फ़ंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को बजट में डाल दिया गया था और चूंकि बजट एक मनी बिल होता है तो राज्यसभा उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती (मित्तल और अग्रवाल 2021, पृष्ठ संख्या- 22)।

ये बात भी बार-बार उठाई गई है कि चूंकि राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं था तो इस विषय को मनी बिल में डाल दिया ताकि उसे आसानी से पारित करवाया जा सके। इस क़ानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ फ़िलहाल विचार नहीं करेगी क्योंकि कब किसी विधेयक को धन विधेयक नामित किया जा सकता है, इस बात पर सात न्यायधीशों की संविधान पीठ पहले से ही विचार कर रही है।

चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ 2016-17 और 2021-22 के बीच पांच वर्षों में कुल सात राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को चुनावी बॉण्ड से कुल 9,188 करोड़ रुपये मिले (एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म की रिपोर्ट 2024, पृष्ठ संख्या-9)। इस 9,188 करोड़ रुपये में से अकेले भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी लगभग 5272 करोड़ रुपये थी। यानी कुल इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए दिए गए चंदे का क़रीब 58 फ़ीसदी बीजेपी को मिला। इसी अवधि में कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड से क़रीब 952 करोड़ रुपये मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 767 करोड़ रुपये मिले।

टेबल संख्या-1: चुनावी बॉन्ड से विभिन्न राजनीतिक दलों को प्राप्त चुनावी राशि

क्रम संख्या	राजनीतिक दल	चुनावी बॉन्ड से मिला चुनावी राशि
1.	भारतीय जनता पार्टी	6986 करोड़ रुपये
2.	तृणमूल कांग्रेस	1397 करोड़ रुपये
3.	कांग्रेस	1334 करोड़ रुपये
4.	भारत राष्ट्र समिति	1322 करोड़ रुपये
5.	बीजू जनता दल	944 करोड़ रुपये
6.	डी॰एम॰के॰	656 करोड़ रुपये

एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक़ वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2021-22 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये मिलने वाले चंदे में 743 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं दूसरी तरफ इसी अवधि में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिलने वाला कॉर्पोरेट चंदा केवल 48 फ़ीसदी बढ़ा। एडीआर ने अपने विश्लेषण में पाया कि इन पांच सालों में से वर्ष 2019-20 (जो लोकसभा चुनाव का वर्ष था) में सबसे ज़्यादा 3,439 करोड़ रुपये का चंदा चुनावी बॉन्ड के ज़रिये आया। इसी तरह वर्ष 2021-22 में (जिसमें 11 विधानसभा चुनाव हुए) राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के ज़रिये क़रीब 2,664 करोड़ रुपये का चंदा मिला (एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म की रिपोर्ट 2024, पृष्ठ संख्या-8)।

वर्ष 2019 में सर्वोच्च न्यायालय के सामने दायर एक हलफ़नामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक फ़ंडिंग में पारदर्शिता को ख़त्म कर देंगे और

इनका इस्तेमाल भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी कॉर्पोरेट शक्तियों को आमंत्रण देने जैसा होगा। चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि कई प्रमुख क़ानूनों में किए गए संशोधनों की वजह से ऐसी शेल कंपनियों के खुल जाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिन्हें सिर्फ़ राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के इकलौते मक़सद से बनाया जाएगा। एडीआर की याचिका के मुताबिक़, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बार-बार चेतावनी दी थी कि इलेक्टोरल बॉण्ड का इस्तेमाल काले धन के प्रसार, मनी लॉन्ड्रिंग, और सीमा-पार जालसाज़ी को बढ़ाने के लिए हो सकता है (जैन 2021, पृष्ठ संख्या-4)। चुनावी बॉन्ड को एक 'अपारदर्शी वित्तीय उपकरण' कहते हुए आरबीआई ने कहा था कि चूंकि ये बॉन्ड मुद्रा की तरह कई बार हाथ बदलते हैं, इसलिए उनकी गुमनामी का फ़ायदा मनी-लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है।

सरकार का कहना है कि चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। सरकार के मुताबिक़, ये योजना पारदर्शी है और इसके ज़रिये काले धन की अदला-बदली नहीं होती। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को कई मौक़ों पर बताया है कि धन प्राप्त करने का तरीक़ा बिल्कुल पारदर्शी है और इसके ज़रिये किसी भी काले या बेहिसाब धन को हासिल करना संभव नहीं है। यह कहते हुए कि यह योजना 'स्वच्छ धन के योगदान' और 'टैक्स दायित्वों के पालन' को बढ़ावा देती है, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा है कि इस मसले को सार्वजनिक और संसदीय बहस के दायरे में छोड़ दिया जाना चाहिए।

चुनावी बॉन्ड का लोकतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर प्रभाव

भारत में लोकतंत्र एक सदियों पुरानी अवधारणा है। भारतीय लोकाचार के अनुसार, लोकतंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता के मूल्य शामिल होते हैं और यह अपने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देता है। सबसे पहले उपलब्ध पवित्र ग्रंथ-ऋग्वेद और अथर्ववेद की पंक्तियों में सभा, समिति और संसद जैसी सहभागी संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अंतिम शब्द 'संसद' हमारे देश की संसद को दर्शाते हुए प्रचलित है। इस भूमि के महान महाकाव्य रामायण और महाभारत भी निर्णय प्रक्रिया में लोगों को समावेशित करने की बात करते हैं। भारतीय लिखित उदाहरणों में यह भी पाया जाता है कि शासन करने का अधिकार योग्यता या आम सहमति के माध्यम से अर्जित किया जाता है और यह वंशानुगत नहीं है। परिषद और समिति जैसी विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं में मतदाता की वैधता पर लगातार चर्चा होती रही है। भारतीय लोकतंत्र वास्तव में लोगों की सत्यता, सहयोग, समन्वय, शांति, सहानुभूति और सामूहिक शक्ति का उत्सवपूर्ण उद्घोष है (विकास 2020, पृष्ठ संख्या-3)।

भारत विश्व का सबसे बड़ा एवं पुराना लोकतांत्रिक देश है। भारत लोकतंत्र की जननी है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम बिहार राज्य में गणतांत्रिक लोकतंत्र की नींव पड़ी थी। बिहार के वैशाली गणतंत्र ने दुनिया में गणतांत्रिक लोकतंत्र के शासन का स्वरूप दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया था। आधुनिक विश्व के कई देशों ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार किया है। आधुनिक लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के द्वारा लोकतंत्र को वैधता प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली पर आधारित लोकतांत्रिक शासन के स्वरूप को स्वीकार किया था। भारत के संविधान में वयस्क मताधिकार पर आधारित संसदीय प्रणाली के लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत के संविधान के भाग-15 में अनुच्छेद-324 से अनुच्छेद-329क तक चुनाव से संबंधित प्रावधान किया गया है।

भारत में संसद सदस्यों, विधानमंडल सदस्यों, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के देख-रेख में संपादित किया जाता है। स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की देख-रेख में किया जाता है। भारत में निष्पक्ष चुनाव को बहुत महत्व दिया गया है। संसदीय लोकतंत्र को निष्पक्ष चुनाव से मज़बूती, निरंतरता एवं वैधता मिलती है। भारत में निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया है और इसके द्वारा चुनाव का नियंत्रण एवं संचालन किया जाता है।

भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दलों के द्वारा मतदाताओं में जागरूकता, राजनीतिक भागीदारी इत्यादि

को सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही साथ राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मतदाता संसद एवं विधानमंडलों के लिए निर्वाचित करती है। चुनावी बॉन्ड योजना को केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में संसद से धन विधेयक के रूप में पारित किया था। इस योजना से पूर्व भारत में राजनीतिक दलों को चंदा अनियोजित और अपारदर्शी तरीक़े से दिया जाता था। चुनावी बॉन्ड योजना के द्वारा चुनावी चंदा को संस्थागत रूप दिया गया था। इस योजना के तहत सभी सभी प्रकार के दानकर्ताओं को राजनीतिक दलों के लिए स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के निर्धारित शाखाओं से चुनावी बॉन्ड ख़रीदना पड़ता था। फिर उस चुनावी बॉन्ड को राजनीतिक दलों के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखाओं में जमा किया जाता है और इसके बाद उक्त शाखाओं के द्वारा संबंधित राजनीतिक दल के खाता में राशि जमा की जाती है (एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म 2024, पृष्ठ संख्या-1)।

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मार्च 2024 तक दिए गए चुनावी बॉन्ड से संबंधित आँकड़ों के अनुसार चुनावी बॉन्ड से भारतीय जनता दल (भाजपा) को सर्वाधिक चंदा मिला है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं भारत राष्ट्र समिति को चुनावी बॉन्ड से चंदा मिला है। चुनावी बॉन्ड योजना का विरोध भारतीय निर्वाचन आयोग, विधि आयोग, निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रयत्नशील गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (AAA) ने किया था।

गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (AAA) ने चुनावी बॉन्ड की वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फ़रवरी 2024 में चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक और अवैध क़रार दिया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी आँकड़ों को भारतीय निर्वाचन आयोग को देने कहा है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित आँकड़ों को अपनी वेबसाइट पर लगाने को कहा है। चुनाव आयोग द्वारा प्रदर्शित चुनावी बॉन्ड के आँकड़ों ने भारतीय लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर इसके प्रभाव को उजागर किया है (अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन 2024, पृष्ठ संख्या-1)। इन आँकड़ों से पता चलता है की सरकार में शामिल राजनीतिक दलों को सर्वाधिक चंदा मिला है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न कम्पनियों से चुनावी बॉन्ड के ज़रिए चंदा लिया है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु में द्रमुक, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने विभिन्न कम्पनियों, उधोगपतियों इत्यादि से चुनावी बॉन्ड के ज़रिए करोड़ों का चंदा लिया है। दूसरी तरफ इससे यह भी पता चलता है की केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आयकर विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद इत्यादि केंद्रीय संस्थाओं का का दुरुपयोग चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूली के लिए किया है। पहले केंद्रीय संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न कम्पनियों पर छापा मारा गया फिर उस पर दबाव डाल कर उससे से चंदा लिया गया। इसी तरह से कई कम्पनियों से चंदा लेकर उनको सरकारी कार्यों के लिए टेंडर दे दिया गया।

भारतीय निर्वाचन आयोग की मार्च 2024 के आँकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति इत्यादि दलों ने काले धन का कारोबार करने वाली कम्पनियों से चंदा लिया है। इसके साथ ही साथ शेल कम्पनियों से भी चंदा लिए गए हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ़ कागजों पर है। इस प्रकार की सभी शेल कपनियाँ काले धन का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म (AAA) ने चुनावी बॉन्ड को निष्पक्ष चुनाव एवं लोकतंत्र के लिए ख़तरा बताया है। ए०डी०आर० की दलील को मानते हुए भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध एवं असंवैधानिक क़रार दिया है। भारतीय लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता निष्पक्ष चुनाव है। निष्पक्ष चुनाव की सबसे प्रमुख ज़रूरत है कि सभी राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया में समान स्तर का खेल मैदान (Same level playing field) मिले। राजनीतिक दलों को चुनावी ख़र्च के लिए समान प्रक्रिया से चंदा मिलना चाहिए। चुनावी बॉन्ड ने राजनीतिक दलों को मिलने वाली चुनावी चंदे की प्रक्रिया में भेदभाव को बढ़ावा दिया है।

केंद्र सरकार के पास संसाधनों एवं केंद्रीय जाँच से संबंधित संस्थाएँ है। जिसकी बदौलत केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड के ज़रिए चंदा लेने के लिए विभिन्न माध्यमों का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। यही कारण है की भारतीय जनता पार्टी को कुल चुनावी बॉन्ड की राशि का 60 प्रतिशत मिला। इसी तरह विभिन्न राज्यों में मज़बूत सत्ताधारी क्षेत्रीय दलों को सर्वाधिक चंदा चुनावी बॉन्ड के ज़रिए मिला है। चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया में विविधता, इसकी अपारदर्शिता, केंद्र सरकार का नियंत्रण इत्यादि ने इस योजना को सबसे भ्रष्ट योजना साबित कर दिया है (आनंद 2021, पृष्ठ संख्या-6)। इस योजना के द्वारा देश की चुनावी राजनीति में कार्पोरेट संस्कृति को बढ़ावा मिला है।

भारत में कार्पोरेट पहले भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करता था लेकिन वर्ष 2014 के बाद उसकी भूमिका में परिवर्तन आया है। वर्तमान दौर में कार्पोरेट सेक्टर ही सरकार की नीतियाँ तय कर रही है। सरकार की नीतियाँ संसद अथवा विधानमंडल में वाद-विवाद के बाद बनती है। इस वाद-विवाद में जनमत से निर्वाचित सांसदों और विधायकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि निर्णय प्रक्रिया में कार्पोरेट का हस्तक्षेप बढ़ता है तो लोकतंत्र कमज़ोर होता है। चुनावी बॉन्ड ने कार्पोरेट के हस्तक्षेप का दायरा बढ़ाया है। यही वजह है की भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी चुनावी बॉन्ड को निष्पक्ष चुनाव एवं लोकतंत्र के लिए ख़तरा बताया था।

निष्कर्ष:

चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय ज़रिया है। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से ख़रीद सकता है और अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीक़े से दान कर सकता है। केंद्र सरकार का कहना है कि चुनावी बॉण्ड शुरू करने के पीछे मंशा ये थी कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी पार्टी को दिया गया चंदा जनता के सामने दाता के विवरण उजागर किए बिना बैलेंसशीट में शामिल किया जा सके।

सरकार का कहना था कि चुनावी बॉण्ड, फंडिंग के लिए काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का तरीका है। सरकार का यह भी कहना था कि चुनावी बॉन्ड के अभाव में दानदाताओं के पास अपने व्यवसायों से पैसे निकालने के बाद नकद दान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) का कहना है की जिस तरह से चुनावी बॉन्ड की योजना को संसद में पास किया गया था वह संविधान के अनुरूप नहीं है। एडीआर का दलील रहा है की चुनावी बॉण्ड में ये क्षमता है कि वो किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी को पैसा न जाने दे। ये आशंका हर बार साबित हो रहा है। पहली बार 212 करोड़ रुपयों में से 200 करोड़ रूपए बीजेपी को गए थे। एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने फ़रवरी 2024 में इस चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड मामले में एक महत्वपूर्ण फ़ैसला सुनाया, जिसका हमारे लोकतंत्र पर लंबा असर होगा। कोर्ट ने बॉण्ड स्कीम को ख़ारिज कर दिया है। इस स्कीम में ये नहीं पता लगता था कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड ख़रीदे और किसे दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ख़तरा माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना है। इसे लेकर जो संशोधन किया गया था, जिसके तहत कोई कंपनी, किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी पैसा दे सकती हैं, कोर्ट ने वो भी रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फ़ील्ड ख़त्म करने का मौक़ा देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पैसा इस स्कीम के तहत जमा किया गया है, वो भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को दे और आयोग की तरफ़ से इसकी जानकारी आम लोगों को मुहैया कराई जाएगी।

संदर्भ

1. भारत निर्वाचन आयोग (2024), चुनावी बॉण्ड का आँकड़ा,
AAA: https://www.eci.gov.in/disclosure-of-electoral-bonds

2. आर्थिक विभाग, वित्त मंत्रालय (2024), चुनावी बॉण्ड की शुरुआत,
AAA:
https://dea.gov.in/sites/default/files/Electoral%20Bonds_Press%20RELEASE_2-1-2018.pdf
3. सुप्रीम कोर्ट अब्ज़र्वर (2014), चुनावी बॉण्ड की संवैधानिकता का सवाल, URL: https://www.scobserver.in/cases/association-for-democratic-reforms-electoral-bonds-case-background/
4. प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार (2019), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अधिकृत शाखाओं में चुनावी बांड की बिक्री, URL: https://pib.gov.in/Pressreleaseshare
5. एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2024), चुनावी बॉण्ड और राजनीतिक चंदे में अपारदर्शिता, URL:https://adrindia.org/sites/default/files/ElectoralBondsNote_March_July2021_updated.pdf
6. भारत निर्वाचन आयोग (2024), चुनावी बॉण्ड का खुलासा,
URL : https://www.eci.gov.in/disclosure-of-electoral-bonds
7. मित्तल, परिशा और अग्रवाल, विराट (2021), चुनावी बॉण्ड: प्रभाव, इंडियन पोलिटिक्स और लॉ रिव्यू जर्नल, वॉल्यूम-6, संख्या-1, पृष्ठ संख्या- 1-35
8. जैन, रीमा (2021), चुनावी बॉण्ड : एक विश्लेषण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लॉ मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटीज़, वॉल्यूम-4, संख्या-2, पृष्ठ संख्या -419-431
9. गुप्ता, ईशा (2020), चुनावी बॉण्ड : राजनीतिक चंदा, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ लॉ एंड मैनेजमेंट, वॉल्यूम-4, संख्या-3, पृष्ठ संख्या-1-16
10. कुमार, डॉ० विकास (2020), भारत में चुनावी सुधार : आवश्यकता, मुद्दा एवं चुनौतियाँ, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइयन्स एंड गवर्नन्स, वॉल्यूम-10, संख्या-9, पृष्ठ संख्या-15-21.
11. आनंद, डी० (2023), चुनावी बॉण्ड : लोकतंत्र और चुनाव में पारदर्शिता, जर्नल ऑफ़ लिबर्टी एंड इंटरनेशनल अफेर्स, वॉल्यूम-1, संख्या-1, पृष्ठ संख्या-89-100
12. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2024), चुनावी बॉण्ड, URL: https://www.orfonline.org/tags/electoral-bonds
13. अब्ज़र्वर रीसर्च फ़ाउंडेशन (2019), भारत की चुनावी बॉण्ड योजना को डिकोड करना, URL: https://www.google.com/search?q=decoding+meaning+in+hindi&sca